संख्या:24/2025/1020ई-2/तेरह-2025-1834909

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ::दिनांक: 25 अगस्त, 2025**

विषयः-विषय:-शीरा वर्ष 2024-25 में आरक्षित शीरे के विक्रय के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: जी-08/दस-185/शीरा नीति/2024-25, दिनांक 20-08-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत आरक्षित शीरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत शीरा नीति 2024-25 के प्रस्तर-5.1.1 के अन्तर्गत प्रदेश में कुल वास्तविक शीरा उत्पादन (बी-हैवी+सी-हैवी को जोड़कर) के 19 प्रतिशत आरक्षण में 1 प्रतिशत की कमी करते हुए शीरे पर आरक्षण 18 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है व तद्रुरूप प्रस्तर-5.2.1 के अन्तर्गत आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य अनिवार्य रूप से निर्धारित निकासी का अनुपात 1:4.26 के स्थान पर 1:4.55 किया जाता है, जिसकी आपूर्ति शीरा नीति 2024-25 के अनुसार बी-हैवी अथवा उसके समतुल्य सी-हैवी शीरे से की जा सकती है। शीरा नीति 2024-25 के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगे।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in